रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042026-271920
CG-DL-E-20042026-271920

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2026/चैत्र 30, 1948
No. 268]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2026/CHAITRA 30, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2026

सा. का. नि. 292(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) के साथ पठित, उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा सुरक्षा बल में उप कमांडेट (अनुसचिवीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, उप कमांडेट (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2026 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर**. - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षाणिक अर्हताएं आदि**.- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**- वह व्यक्ति .-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, तथा ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **अधिवर्षिता.** - (1) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन नियुक्त कोई भी व्यक्ति, जिस माह में वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के अपरान्ह में करता है, उस माह के अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा:

परंतु यह कि जिस व्यक्ति के जन्म की तारीख किसी माह की प्रथम तारीख है वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले माह से पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा।

साठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के पश्चात्, किसी भी व्यक्ति को कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा ।

6. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**- इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में चिकित्सीय परीक्षा संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतो द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सकीय प्रवर्ग SHAPE-I में हैं, अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

7. **शिथिल करने की शक्ति**. - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **सेवा का दायित्व**. - इन नियमों के अधीन कोई भी नियुक्त व्यक्ति भारत में कहीं भी या विदेश में सेवा करने का दायी होगा ।

9. **व्यावृत्ति .-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।
(1)	(2)	(3)
उप कमांडेट (अनुसचिवीय) ।	21* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय (योधक) ।
वेतन मेट्रिक्स में स्तर ।	चयन पद अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर-11 (रु.67700–208700) ।	चयन पद ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(10)
प्रोन्नति द्वारा ।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति द्वारा:- वेतन मेट्रिक्स के स्तर-10 (रु.56100-177500) में सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय) पद के लिए पांच वर्ष की नियमित सेवा या स्तर -7 (समूह 'ख') निरीक्षक (अनुसचिवीय) और स्तर-10 (समूह 'क') सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय) में नौ वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा, जिसमें स्तर-10 (समूह 'क') सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय) में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा हो, परन्तु चिकित्सा श्रेणी SHAPE-I की शर्तें पूरी हों और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक द्वारा समय-समय पर विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। **टिप्पण**:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब उनकी अर्हक या पात्रता सेवा आवश्यक अवधि से अधिकतम उसकी आधी अवधि या दो वर्ष (जो भी कम हो) से कम न हो, तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने एसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. महानिदेशक या विशेष महानिदेशक या अतिरिक्त महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल : अध्यक्ष; 2. महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल : सदस्य; 3. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल : सदस्य; 4. निदेशक या उप सचिव गृह मंत्रालय : सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा.सं. सी-17/09/2025/कार्मिक-गोपनीय/बीएसएफ]

शिव लहरी मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2026.

G.S.R. 292(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Commandant (Ministerial) in the Border Security Force, in the Ministry of Home Affairs, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Border Security Force, Deputy Commandant (Ministerial) Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.** - No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Superannuation.** - (1) A person appointed under the provisions of these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of sixty years:

   Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month of attaining the age of sixty years.

   (2) No person shall be granted extension in service beyond the age of retirement of sixty years.

6. **Medical Fitness**.- Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in the Central Armed Police Forces, shall be eligible for appointment or promotion to the post specified in the column (1) of the Schedule.

7. **Powers to relax**.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Liability of service.** - Any person appointed to any category of post under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

9. **Saving. -** Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Deputy Commandant (Ministerial).	21* (2026) *(subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial Combatised.	Level-11 (Rs. 67700 - 208700) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method or recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
By promotion : Assistant Commandant (Ministerial) in level-10 (Rs. 56100 -177500/-) in the pay matrix with five years' regular service in the grade or nine years combined regular service in level-7 (Group-'B') Inspector (Ministerial) and level-10 (Group-'A') Assistant Commandant (Ministerial) with a minimum of three years' regular service in level-10 (Group-'A') Assistant Commandant (Ministerial) subject to fulfillment of medical category SHAPE-I and shall have undergone promotional course or training as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors in the respective grade shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1.Director General or Special Director General or Additional Director General Border Security Force - Chairperson; 2. Inspector General Border Security Force - Member; 3. Deputy Inspector General Border Security Force - Member; 4. Director or Deputy Secretary Ministry of Home Affairs. - Member.	Not applicable.

[F. No. C-17/09/2025/Pers-Confd/BSF]

SHIV LAHRI MEENA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.04.20 17:58:22 +05'30'